इन्दिरा गॉधी प्रतिष्ठान में वर्ष 2024–25 में इम्पैनलमेन्ट हेतु ऑफर आमंत्रण सूचना

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर, योजना फेज–2 के विभूतिखण्ड स्थित इन्दिरा गॉधी प्रतिष्ठान, में शादी–समारोह एवं अन्य कार्यक्रमों हेतु टेण्ट/कैटरिंग/विद्युत अलंकरण/लाईट एवं साउण्ड/पुष्प अलंकरण के कार्यो के लिये पूर्व इम्पैनलमेन्ट फर्मो की सेवाएं समाप्त करते हुए पुनः नये सिरे से उपरोक्त कार्य हेतु दक्ष/विशेषज्ञ फर्मो से पंजीकरण हेतु दिनांक 25.07.2024 को मुद्रांकित आफॅर आमंत्रित की जाती है जो उक्त तिथि तक इन्दिरा गॉधी प्रतिष्ठान में रखे सील्ड बाक्स में डाली जा सकती है।

ऑफर का विस्तृत विवरण लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाईट 'http//www.ldalucknow.co.in' पर अथवा अधिशासी अभियन्ता, इन्दिरा गॉधी प्रतिष्ठान के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

अधिशासी अभियन्ता
इन्दिरा गॉधी प्रतिष्ठान
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण
वर्ष 2024–25 में इम्पैनलमेन्ट हेतु ऑफर आमंत्रण सूचना

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इन्दिरा गॉधी प्रतिष्ठान, विभूतिखण्ड, गोमती नगर में कान्फ्रेन्स, संगोष्ठी, सभा, फिल्मांकन, नाटकों का मंचन, विवाह समारोह व अन्य कार्यक्रमों के आयोजन पर टेण्ट, कैटरिंग, विद्युत अलंकरण व पुष्प सज्जा की व्यवस्था करने वाली फर्मो के इम्पैलनमेन्ट हेतु ऑफर आमंत्रित किये जाते है।

इन्दिरा गॉधी प्रतिष्ठान में 40, 60, एवं 100 व्यक्तियों की क्षमता के तीन सभा कक्ष, 200, 400, 600 एवं 1500 व्यक्तियों की क्षमता के चार ऑडिटोरयिम, 600 व्यक्तियों की क्षमता का वातानुकूलित बैकेट हॉल (तीन आवासी कक्ष, किचेन, शौचालय, पेयजल सुविधा से युक्त) व 1000 व्यक्तियों की क्षमता के पवेलियन हॉल (दो आवासीय कक्ष, किचेन, पेयजल, शौचालय व लॉन की सुविधा से युयक्त) स्थित है। लाइब्रेंरी ब्लाक में 200 व्यक्तियों की क्षमता के तीन बैंकट हॉल उपलब्ध है, जिसकी बुकिंग प्राधिकरण द्वारा की जाती है। परिसर में वाहन पार्किंग, जनसुविधाओं आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। इन्दिरा गॉधी प्रतिष्ठान में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट 'http//www.ldalucknow.co.in' पर उपलब्ध है।

आवेदक की अर्हता व पात्रता का विवरणः–

क्र	आर्हता	टेण्ट की व्यवस्था	कैटरिंग के कार्य	विद्युत अलंकरण / लाईट / साउण्ड सिस्टम हेतु	पुष्प अलंकरण
1	सम्बन्धित कार्य का अनुभव	03 वर्ष	03 वर्ष	03 वर्ष	03 वर्ष
2	तीन वर्ष का औसत टर्न ओवर	रू0–60.00 लाख	रू0–60.00 लाख	रू0–30.00 लाख	रू0–10.00 लाख
3	व्यवहरण शुल्क (सचिव, ल0वि0प्रा0 के पक्ष मे)	रू0–50,000.00	रू0–50,000.00	रू0– 22,000.00	रू0–10,000.00
4	प्रतिभूति (अधि0अभि0 ल0वि0प्रा0 के पक्ष में)	रू0–3.00 लाख	रू0–2.50 लाख	रू0–1.50 लाख	रू0–1.00 लाख
5	उपभोग शुल्क				
	200 व्यक्तियों	रू0–4,000.00	रू0–4,000.00	रू0–2,000.00	रू0–2,000.00
	200–600 व्यक्तियों	रू0–5,000.00	रू0–5,000.00	रू0–3,000.00	रू0–2,000.00
	600 व्यक्तियों से अधिक	रू0–8,000.00	रू0–8,000.00	रू0–5,500.00	रू0–2,000.00

ऑफर के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला विवरणः–

ऑफर के साथ अनुभव का विवरण, गत तीन वर्ष के टर्नओवर का विरण (बैलेन्स शीट), आई.टी.आर. की प्रतियाँ तथा सम्बन्धित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र एवं व्यवहरण शुल्क का चालान संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। ऑफरदाता द्वारा गत पॉच वर्ष की अवधि में किए गए प्रमुख्या आयोजनों के फोटोग्राफ संलग्न किए जायेगें।

ऑफर से सम्बन्धित अन्य नियम व शर्ते

इम्पैनलमेंन्ट तीन वर्ष की अवधि हेतु मान्य होगा। इस अवधि में फर्म द्वारा संतोषजनक रूप से कार्य किए जाने के आधार पर इम्पैनलमेन्ट की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त जमा प्रतिभूति धनराशि अवमुक्त की जाएगी। इम्पैनल्ड फर्मो द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ अनुबन्ध भी निष्पादित किया जाएगा तथा पैनल का नवीनीकरण सन्तोषजनक सेवा को दृष्टिगत रखते हुए ही किया जायेगा।

इम्पैनल्ड फर्म द्वारा निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त परिसर के किसी अन्य क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा। बुकिंग की अवधि के अतिरिक्त परिसर में सजावट सामग्री आदि का सगंहण नही किया जाएगा। बुकिंग के दिन प्रातः 10:00 बजे के बाद ही सामग्री लाने की अनुमति होगी तथा प्रत्येक दशा में बुकिंग के अगले दिन प्रातः 10:00 बजे तक परिसर खाली करना होगा, अन्यथा प्रति विलम्बित दिवस हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उपभोग शुल्क की दो गुनी धनराशि की वसूली की जाएगी। किसी अन्य कार्यक्रम के आयोजन के दृष्टिगत से यदि प्राधिकरण द्वारा परिसर को रिक्त कराया जाता है, तो इसका समस्त हर्जा–खर्चा सम्बन्धित फर्म से वसूल किया जाएगा तथा ऐसी फर्म को आगे कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रतिबन्धित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि फर्श, दीवार, छत, खिड़की के शीशे, शौचालय के फिक्चर्स, विद्युत उपकरणो आदि को कोई क्षति न हो, तथापि यदि परिसम्पत्तियों को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो प्रारिकरण द्वारा किए गए आंकलन के अनुसार उसकी प्रतिपूर्ति सम्बन्धित फर्म द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। सजावट के फलस्वरूप उत्पन्न कूड़ा–कचरा व गन्दगी को साफ करने को पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म का होगा तथा फर्म द्वारा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा।

इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान की बुकिंग में जिन वर्गो/व्यक्तियों को प्राधिकण द्वारा छूट अनुमन्य की गयी है, ऐसे व्यक्तियों/वर्गो/संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले आयोजनों पर उपरोक्त इम्पैनल्ड सेवा प्रदाताओं द्वारा बुकिंगकर्ता से उपभोग शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसे आयोजनों के लिए सेवा प्रदाताओ को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उपभोग शुल्क से छूट प्राप्त होगी।

ऑफर की तिथि व सामान्य शर्ते :

इच्छुक फर्म द्वारा उपरोक्त विवरण के साथ सीलबन्द ऑफर दिनांक 25.07.2024 को सायंकाल 3.00 बजे तक अधिशासी अभियन्ता, इन्दिरा गॉधी प्रतिष्ठान, लखनऊ विकास प्राधिकरण भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर के कार्यालय कक्ष में प्रस्तुत किए जा सकते है।

निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले आफर अथवा व्यवहरण शुल्क के बिना प्राप्त होने वाले ऑफर पर कोई विचार नही किया जाएगा।

अनुबन्ध से पूर्व जमानत धनराशि R.T.G.S. के माध्यम से इंडियन ओवरसीज बैंक में जमा करनी होगी।

ऑफर प्रपत्र की छायाप्रति अमान्य होगी।

किसी भी ऑफर को बिना कारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किए जाने अथवा ऑफर की प्रक्रिया को निरस्त किए जाने का अधिकार उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित होगा।

अधिशासी अभियन्ता
इन्दिरा गॉधी प्रतिष्ठान,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ